न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 05/2019
दायर दिनांक :– 16.01.2019

अनवान

कैलाश चन्द्र पिता हरलाल धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) तहसील जहाजपुर
वादी..........

बनाम

1. गुलाब पिता हरलाल जाति धाकड निवासी काबरी (अमरगढ़) तहसील जहाजपुर
2. छोटूलाल पिता बख्तावर धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) तहसील जहाजपुर
3. बंशीलाल पिता रामचन्द्र धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) तहसील जहाजपुर
4. लादी पुत्री रामचन्द्र धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) रजवास तहसील जहाजपुर
5. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 07.08.2024

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम काबरी पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 41, 42, 45, 46, 47 कुल कीता 5 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे मोतीलाल पिता बख्तावर धाकड का 1/8 हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम अमरगढ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे कृषि भूमि आराजी संख्या 116/1, 117 कुल कीता 2 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि मे मोतीलाल पिता बख्तावर धाकड का 1/4 हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। मोतीलाल पिता बख्तावर धाकड मुझ वादी का काका होकर अविवाहित होकर दिनांक 11.7.2017 को नाओलाद फौत हो गया। मोतीलाल के कोई जायन्दा संतान नही होने के कारण मोतीलाल शुरू से ही वादी के पास निवास करता था एवं वादी ने ही मोतीलाल की सेवा सुरक्षा की इससे प्रसन्न होकर मोतीलाल ने दिनांक 10.11.1999 को अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत मुझ वादी के पक्ष मे मौतबीर व्यक्तियो के समक्ष निष्पादित की थी एवं उक्त वसीयत को नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराई थी। मोतीलाल द्वारा मुझ वादी के पक्ष मे वसीयत निष्पादित करने से मोतीलाल की मृत्यु से वादी उसकी समस्त चल अचल सम्पति एवं वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मोतीलाल के कोई संतान नहीं होने से एवं मोतीलाल द्वारा मुझ वादी के पक्ष मे वसीयत करने से वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे मोतीलाल के हक व हिस्से की भूमि के लिये वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। बाद खातेदार काश्तकार घोषित होने पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण बाधा न डाले न डलवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत की फोटो प्रति पटवार हल्का को देने पर पटवार हल्का ने मोतीलाल के हिस्से की भूमि का नामांतकरण वादी के पक्ष मे दिनांक 20.6.2018 को खोलने से मना कर देने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। वर्णित कृषि भूमि मे मोतीलाल पिता बख्तावर धाकड के हक व हिस्से की भूमि के लिये वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे। वाद घोषणा प्रतिवादीगण वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (शाहपुरा)

प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे न करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में अग्रलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली है, ग्राम काबरी की खाता सं. 59 की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की, ग्राम अमरगढ की खाता सं. 505 की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की, मोतीलाल धाकड का मृत्यु प्रमाण पत्र, मोतीलाल धाकड द्वारा की गई वसीयत नामा की फोटू प्रति पेश की है। जो संलग्न पत्रावली है। वकील वादी द्वारा साक्ष्य गवाह में कैलाश चन्द्र धाकड, पी. डब्ल्यु 1, छोटू धाकड पी. डब्ल्यु 2, नन्दराम पी. डब्ल्यु 3, श्री मोहन लाल धाकड पी. डब्ल्यु 4 के बयान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया कि मोतीलाल के कोई जायन्दा संतान नही होने के कारण मोतीलाल शुरू से ही वादी के पास निवास करता था एवं वादी ने ही मोतीलाल की सेवा सुरक्षा की इससे प्रसन्न होकर मोतीलाल ने दिनांक 10.11.1999 को अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत मुझ वादी के पक्ष मे मौतबीर व्यक्तियो के समक्ष निष्पादित की थी एवं उक्त वसीयत को नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराई थी। मोतीलाल द्वारा मुझ वादी के पक्ष मे वसीयत निष्पादित करने से मोतीलाल की मृत्यु से वादी उसकी समस्त चल अचल सम्पति एवं वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 मे वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मोतीलाल के कोई संतान नहीं होने से एवं मोतीलाल द्वारा मुझ वादी के पक्ष मे वसीयत करने से वर्णित कृषि भूमि मे मोतीलाल के हक व हिस्से की भूमि के लिये वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे। वाद घोषणा प्रतिवादीगण वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे न करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम काबरी पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 41, 42, 45, 46, 47 कुल कीता 5 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा एवं ग्राम अमरगढ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे कृषि भूमि आराजी संख्या 116/1, 117 कुल कीता 2 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि मोतीलाल धाकड के नाम खातेदारी से स्थित है मोतीलाल के कोई संतान नही होने से मोतीलाल द्वारा वादी कैलाशचन्द को दिनांक 10.11.1999 को अपने नाम चल अचल सम्पति को जरिये वसीयत पत्र के वादी के नाम निष्पादित कराई

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (शाहपुरा)

गई। जिसकी प्रति वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत कराई गई है। तथा छोटू धाकड पी. डब्ल्यु 2 जो की मोतीलाल का भाई है, मोहन लाल धाकड पी. डब्ल्यु 3, श्री नन्दराम पी. डब्ल्यु 4 बयानो में भी बताया की उक्त मोतीलाल के जायन्दा पुत्र नही होने से वादी मोतीलाल के पास ही निवास करता था तथा मोतीलाल द्वारा वादी कैलाश के पक्ष में वसीयत कराई गई थी। उपरोक्त विवेचन अनुसार वसीयत के आधार पर उक्त मोतीलाल के हिस्से की भूमि को वादी के नाम किया जाना उचित हैं जिससे न्यायालय वादीके वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम काबरी पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 41, 42, 45, 46, 47 कुल कीता 5 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा एवं ग्राम अमरगढ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे कृषि भूमि आराजी संख्या 116/1, 117 कुल कीता 2 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि में मोतीलाल पिता बख्तावर धाकड का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे, न करावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (शाहपुरा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (शाहपुरा)

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (शाहपुरा)
ब ईजलास – श्री सुरेन्द्र बी.पाटीदार, आर.ए.एस

अनवान

कैलाश चन्द्र पिता हरलाल धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) तहसील जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. गुलाब पिता हरलाल जाति धाकड निवासी काबरी (अमरगढ़) तहसील जहाजपुर
2. छोटूलाल पिता बख्तावर धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) तहसील जहाजपुर
3. बंशीलाल पिता रामचन्द्र धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) तहसील जहाजपुर
4. लादी पुत्री रामचन्द्र धाकड निवासी काबरी (अमरगढ) रजवास तहसील जहाजपुर
   तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – **88, 89, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 05 / 2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री ओमप्रकाश मुन्दडा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम काबरी पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 41, 42, 45, 46, 47 कुल कीता 5 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा एवं ग्राम अमरगढ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा मे कृषि भूमि आराजी संख्या 116 / 1, 117 कुल कीता 2 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि में मोतीलाल पिता बख्तावर धाकड का नाम विलोपित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करे, न करावे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.08.2024

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (शाहपुरा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (शाहपुरा)